No. CD-11012/01/2020-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 09th July, 2021

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of June, 2021.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of June, 2021 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar
(Prashant Kumar)
Section Officer(Coord)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavan New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of June, 2021.

1. **Award and construction of National Highways**: The Ministry has constructed 2,284 km of National Highways up to June in 2021-22 as compared to 1,823 km up to June in 2020-21. The award figure is 1,681 km during this period as compared to 1,658 km in the previous year.
2. **Foundation stone and inauguration of various National Highway Projects in Himachal Pradesh:** Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways and MSMEs laid foundation stone and inaugurated various National Highway Projects in Himachal Pradesh on 24th June, 2021. The total outlay of the 222, kilometre long nine road corridors is Rs.6,155 crore. Addressing the event, the Hon'ble Minister said that these road projects will ensure prosperity for the people of Himachal Pradesh. He said that the Government has accorded top priority to Manali - Leh tunnel construction.
3. **Accredited Driver Training Centres:** Shortage of skilled drivers and lack of knowledge of road regulations are major issues in the Indian roadways sector. In this regard, this Ministry has published a notification on 7th June, 2021, wherein the requirements to be fulfilled by accredited driver training centres have been mandated. This will help impart proper training and knowledge to candidates who enroll at such centres. The candidates who successfully pass the test at these centres will be exempted from the driving test requirement at the time of applying for driving licence at the RTO.
4. **Whole Vehicle Safety Conformity of Production**: The Ministry, vide notification dated 7th June, 2021, has amended Central Motor Vehicles Rules, 1989 to undertake conformity of production of components at the vehicle level, with that of the type approval certificate issued. This is termed as Whole Vehicle Safety Conformity of Production (WVSCOP). The vehicle as a unit will be drawn

from the manufacturer's plant or importer's premises and the components fitted onto the vehicle will be subjected to test.

5. **Standardization of Pollution under Check Certificate (PUCC):** The Ministry has issued a notification on 14th June 2021 for a common format of Pollution Under Control Certificate (PUCC) to be issued across the country under Central Motor Vehicles Rules, 1989.Some of its features include, linking the PUCC database with the National register, owner's mobile number to be mandatory to receive SMS alert for validation and fee, QR code printed on the form shall contain complete information about the PUCC Centre .

6. **Transportation of "indivisible loads":** The Ministry, vide notification dated 18th June, 2021, has amended Central Motor Vehicles Rules, 1989 for the transportation of "indivisible loads", in case of motor vehicles of N2 and N3 categories, wherein the overall height shall not exceed 4.75 meters. This will enable glass/steel sheets etc. to be transported in rigid trucks, exceeding 3.5T.

7. **Extension of timeline in respect of date of implementation of fitment of air bags on existing model:** The Ministry had issued a notification on 2nd March, 2021 regarding mandatory provision of an airbag for the passenger seated on the front seat of a vehicle, next to the driver. However, due to the ongoing COVID 19 pandemic, it has been decided to extend the timeline in respect of date of implementation of fitment of air bags on existing models, upto 31st December 2021. In this regard, a draft notification has been issued on 23rd June, 2021.

8. **Deferment of the date of implementation for Emission Norms (TREM IV) for tractors, combine harvesters and power tiller:** The Ministry, vide draft notification dated 18th June, 2021, has proposed to defer the date of implementation of Emission Norms (TREM IV) for tractors, combine harvesters and power tiller for six months from 1st October, 2021 to 1st April, 2022.

9. **Common Service Centres (CSC) as "facilitation Centre":** In order to provide better transport services to the citizen, the Ministry, vide order dated 23rd June, 2021 has recognized Common Service Centres (CSC) e-Governance Services India Limited to work as "Facilitation Centre".

10. **Mass emission standards for E12 and E15 fuels:** The Ministry has issued a draft notification dated 28th June, 2021, notifying mass emission standards for E12 (blend of 12% ethanol in gasoline) and E15 fuels, thereby facilitating their use as automotive fuels. Comments have been solicited from stakeholders within a period of thirty days.

11. **Drone Survey Mandatory for All National Highways Projects:** In order to enhance transparency, uniformity and leverage latest technology, the National Highways Authority of India has made mandatory use of drones for monthly video recording of National Highway projects during all stages of development, construction, operation and maintenance. The Contractors and Concessionaires shall carry out the drone video recording in presence of Team Leader of the Supervision Consultant and upload comparative project videos of the current and last month on NHAI's portal 'Data Lake', capturing various project related developments during the month. These videos will also be used by NHAI officials during the physical inspection of the projects to check the discrepancies and rectifications made basis the earlier observations.

12. **Awareness on Road Safety**: To create awareness among drivers on road safety, the Ministry has taken initiative to disseminate Road Safety messages through SMS on mobile of the drivers. One SMS every fortnight to all DL holders (excluding commercial DL holders) and One SMS every week to all commercial DL holders being disseminated.

13. **Standing Finance Committee (SFC) meetings**: In the month of June, 2021, a total 6 nos. of projects were considered by the Standing Finance Committee. The 6 projects of length 190.5 Km and total capital cost of Rs. 11,241.15 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

*****

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषयः मंत्रिमंडल के लिए जून, 2021 माह का मासिक सारांश।

1. <u>राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण</u> : मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में जून तक 1,823 किलोमीटर की तुलना में वर्ष 2021-2022 में जून तक 2,284 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 1,681 किलोमीटर है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,658 किमी था।

2. **<u>हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटनः</u>** श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने 24 जून, 2021 को हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 222, किलोमीटर लंबे नौ सड़कों के कॉरिडोर का कुल परिव्यय 6,155 करोड़ रुपये है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मनाली-लेह सुरंग निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

3. **<u>मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रः</u>** भारतीय सड़क मार्ग सेक्टर में कुशल ड्राइवरों की कमी और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी प्रमुख समस्या है। इस संबंध में, इस मंत्रालय ने 7 जून, 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं को अनिवार्य किया गया है। इससे ऐसे केंद्रों पर नामांकन कराने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देने और ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की छूट दी जाएगी।

4. **पूरे वाहन की उत्पादन की सुरक्षा अनुरूपताः** मंत्रालय ने दिनांक 7 जून 2021 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया है ताकि वाहन के प्रकार से संबंधित जारी किए गए अनुमोदन प्रमाण पत्र के अनुसार वाहन स्तर पर घटकों के उत्पादन की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसे पूरे वाहन की उत्पादन की सुरक्षा अनुरूपता (डब्ल्यूवीएससीओपी) कहा जाता है। निर्माता के संयंत्र या आयातक के परिसर से वाहन को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा और वाहन पर लगे घटकों का परीक्षण किया जाएगा।

5. **प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र का मानकीकरण (पीयूसीसी):** मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) के एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून 2021 को एक अधिसूचना जारी की है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं- पीयूसीसी डेटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना, सत्यापन और शुल्क के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने हेतु मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य करना, फॉर्म पर छपे क्यूआर कोड में पीयूसीसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होना।

6. **"अविभाज्य भार" का परिवहन** : मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से एन 2 और एन 3 श्रेणियों के मोटर वाहनों, जिनकी समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक न हो, के मामले में "अविभाज्य भार" के परिवहन के लिए केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में संशोधन किया है। इससे 3.5 टन से अधिक भार वाले कांच/स्टील शीट आदि को रिजिड ट्रकों में ले जाया जा सकेगा।

7. **मौजूदा मॉडल में एयर बैग फिट करने की तारीख की समयसीमा का विस्तार:** मंत्रालय ने 2 मार्च, 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसमें ड्राइवर के बगल में वाहन की आगे की सीट पर बैठे यात्री के लिए एयरबैग का होना अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया था। हालाँकि, कोविड 19 महामारी के कारण, मौजूदा मॉडलों पर एयर बैग फिट करने की तारीख की समय सीमा को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में, 23 जून 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।

8. **ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर के लिए उत्सर्जन मानदंड (टीआरईएम IV) के कार्यान्वयन की तारीख में बदलाव:** मंत्रालय ने 18 जून, 2021 की मसौदा अधिसूचना के माध्यम से ट्रैक्टरों, कंबाइन हार्वेस्टर और पावर टिलर के उत्सर्जन मानदंड (टीआरईएम IV) के कार्यान्वयन की तारीख को छह महीने आगे बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2021 से 1 अप्रैल, 2022 करने का प्रस्ताव किया है।

9. **"सुविधा केंद्र" के रूप में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी):** नागरिक को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए, मंत्रालय ने 23 जून, 2021 के आदेश के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को "सुविधा केंद्र" के रूप में काम करने की मान्यता दी है।

10. **ई12 और ई15 ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानक:** मंत्रालय ने 28 जून, 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें ई12 (गैसोलीन में 12% इथेनॉल का मिश्रण) और ई15 ईंधन के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है, जिससे ऑटोमोटिव ईंधन

के रूप में इनका उपयोग किया जा सके। तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई हैं।

11. **सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में ड्रोन सर्वेक्षण को अनिवार्य करना:** पारदर्शिता, एकरूपता और नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास, निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव के सभी चरणों के दौरान मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। पर्यवेक्षण सलाहकार के टीम लीडर की उपस्थिति में ठेकेदार और छूटग्राही ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और वर्तमान तथा पिछले महीने के तुलनात्मक परियोजना वीडियो, जिसमें महीने के दौरान विभिन्न परियोजना में किए गए विकास को कैप्चर किया गया हो, को एनएचएआई के पोर्टल 'डेटा लेक' पर अपलोड करेंगे। एनएचएआई के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान इन वीडियो का उपयोग किया जाएगा ताकि पहले की टिप्पणियों के आधार पर विसंगतियों और सुधारों की जांच की जा सके।

12. **सड़क सुरक्षा पर जागरूकता:** सड़क सुरक्षा के बारे में ड्राइवरों के मध्य जागरूकता फैलाने के लिए मंत्रालय ने ड्राइवरों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशों को प्रसारित करने की पहल की है। सभी डीएल धारकों (वाणिज्यिक डीएल धारकों को छोड़कर) को प्रत्येक पखवाड़े में एक एसएमएस और सभी वाणिज्यिक डीएल धारकों को हर सप्ताह एक एसएमएस प्रसारित किया जा रहा है।

13. **स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें:** स्थायी वित्त समिति द्वारा जून, 2021 माह में कुल 6 परियोजनाओं पर विचार किया गया। एसएफसी द्वारा 190.5 किलोमीटर लंबाई वाली और कुल 11,241.15 करोड़ रुपये की पूंजी की 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई।

****